



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 675 राँची, मंगलवार, 23 कार्तिक, 1945 (श०)
14 नवम्बर, 2023 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

शुद्धि पत्र

8 नवम्बर, 2023

संख्या-10/सी०बी०आई०-416/2021-5276--DIG of Police/HOB, CBI ACB, Ranchi के पत्रांक-1025/Doranda P.S. Case No. -03/2019, दिनांक-27.04.2022 एवं पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), झारखण्ड, राँची के पत्रांक-239/एक्स, दिनांक-20.04.2022 के आलोक में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-474, दिनांक-15.02.2022 में अंकित डोरंडा थाना (राँची जिला) कांड संख्या-03/2018, दिनांक-02.01.2019 के स्थान पर डोरंडा थाना कांड संख्या-03/2019, दिनांक-02.01.2019 पढे जाने हेतु विभागीय शुद्धिपत्र संख्या-2010- दिनांक-20.05.2022 निर्गत था ।

पुनः, पुलिस अधीक्षक, CBI ACB, Ranchi के पत्रांक-2962/ Doranda P.S. Case/03-2019, दिनांक-12.10.2023 के द्वारा उपलब्ध प्रतिवेदन/मंतव्य के आलोक में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-474, दिनांक-15.02.2022 में उल्लेखित डोरंडा थाना कांड संख्या-03/2018, दिनांक-02.01.2019 में अंकित धारा-420/467/468/471/30 भा०द०वि० को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए, इसके स्थान पर डोरंडा थाना कांड संख्या-03/2019, दिनांक-02.01.2019 धारा-420/467/468/471/34 भा०द०वि० किया जाता है ।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या-474, दिनांक-15.02.2022 एवं इसके क्रम में निर्गत शुद्धिपत्र संख्या-2010, दिनांक-20.05.2022 को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

उमाशंकर प्रसाद पाल,
सरकार के अवर सचिव ।
